भोजन पाने के फार्म को कैसे भरना चाहिये

कृपया नीचे बताए गए आदेशों के अनुसार भोजन पाने के फार्म को भरें। फार्म सही करके इसे निम्न को लौटाएँ: ___________________________________। मदद की ज़रूरत पड़े तो ___________________________________ नंबर पर फ़ोन करें।

---

1. **बच्चे के बारे में जानकारी:** अपने बच्चे का नाम साफ़ अक्षरों में लिखें।

(a) अगर आप स्कूल भोजन का निवेदन कर रहे हैं तो स्कूल का नाम और बच्चे का ग्रेड लिखें।

(b) अगर आप डे केयर में बच्चे के भोजन का निवेदन कर रहे हैं तो बाल सेवा केन्द्र या घर आधारित डे केयर प्रदायक का नाम, और यदि मालूम हो तो स्पॉन्सर का नाम लिखें।

(c) अगर आप गर्मी की छुट्टियों में भोजन सेवा (SFSP-एस.एफ़.एस.पी) का निवेदन कर रहे हैं तो रिक्त स्थान पर चिह्न लगाएँ।

---

2. **फ़ॉस्टर बच्चे:** इस भाग को भरकर #5 पर फार्म को सही करें।

(a) फ़ॉस्टर बच्चे की मासिक "व्यक्तिगत प्रयोग" आय लिखें। अगर फ़ॉस्टर बच्चे को "व्यक्तिगत प्रयोग" आय नहीं मिलती है तो "0" लिखें।

(b) फ़ॉस्टर माता-पिता या बच्चे का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी को #5 पर फार्म को हस्ताक्षरित करना आवश्यक है।

(c) हर फ़ॉस्टर बच्चे के लिए अलग से फ़ार्म भरें।

---

3. **अन्य लाभ:** इस भाग को भरकर #5 पर फार्म को सही करें।

(a) अगर आप स्कूल भोजन का निवेदन कर रहे हैं तो अपने बच्चे (बच्चों) का सामयिक फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR केस नंबर लिखें।

(b) अगर आप स्तर I बाल सेवा भत्तों का निवेदन करने वाले कोई घर आधारित डे केयर प्रदायक हैं तो अपना या अपने बच्चों का सामयिक फूड स्टैम्प, TANF, FDPIR केस नंबर लिखें।

(c) अगर आपका बच्चा किसी स्तर II घर आधारित डे केयर में भरती है, तो अन्य लागू कार्यक्रम तथा केस नंबर लिखें। (इस मामले में संलग्न अन्य उपयुक्त पात्रता वर्गों की सूची देखें)।

(d) #5 पर फार्म को सही करें। परिवार के किसी वयस्क सदस्य को सही करना आवश्यक है। आपको सोशल सिक्युरिटी नंबर देने की आवश्यकता नहीं है।

---

4. **अन्य सभी गृहस्थी:** इस भाग को भरकर #5 पर फार्म को सही करें।

(a) अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखें, चाहे उन्हें कोई आमदनी हो या नहीं। अपना और अपने पति-पत्नी का नाम, जिस बच्चे के लिए निवेदन किया जा रहा है उसका नाम, तथा परिवार के अन्य सभी सदस्यों का नाम लिखें।

(b) अब लिखें कि पिछले महीने हर व्यक्ति की क्या आय थी, आय-कर तथा अन्य कटौती से पहले, <u>और</u> यह भी बताएँ कि यह आय कहाँ से आती है, जैसे कि पगार, वेलफ़ेयर, पेंशन, या अन्य आय (नीचे आय-स्रोत की एक सूची दी गई है ताकि आप जान सकें कि आपको किस प्रकार की आय के बारे में बताना चाहिये।) हर आय रकम को फार्म के उपयुक्त स्थान पर लिखे जाना चाहिये। अगर <u>पिछले महीने</u> की आय हमेशा से कम या अधिक थी, तो उस व्यक्ति की सामान्य आय लिखें।

(c) अगर कोई सदस्य खुद के लिए काम कर रहा हो, तो स्वयं के काम से उसकी आय बताएँ; उदाहरणार्थ, घर आधारित डे केयर प्रदायक होने की आय, या खेती से आय आदि। कृपया फार्म के ऊपर बताए गए नम्बर पर फ़ोन करें अगर आपको मदद की आवश्यकता पड़े।

(d) अगर आप स्तर I भत्तों का निवेदन करने वाले कोई घर आधारित डे केयर प्रदायक हैं तो अपनी स्थिति साबित करने के लिए आय सम्बन्धित कागज़ात भेजें।

(e) #5 पर सोशल सिक्युरिटी नम्बर देकर फार्म को सही करें। *अगर आपका कोई सोशल सिक्युरिटी नम्बर न हो, तो "कोई नहीं" लिखें।*

---

5. **हस्ताक्षर तथा सोशल सिक्युरिटी नम्बर:**

(a) इस फार्म पर परिवार के किसी **वयस्क** के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

(b) कथन को हस्ताक्षरित करने वाले परिवार के वयस्क को अपना **सोशल सिक्युरिटी नम्बर** देना आवश्यक है। । *अगर उसका कोई सोशल सिक्युरिटी नम्बर न हो, तो "कोई नहीं" लिखें।* अगर आपने फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR का केस नंबर दिया हो, या अगर फ़ॉस्टर बच्चे के लिए निवेदन कर रहे हों तो सोशल **सिक्युरिटी नम्बर** देना आवश्यक नहीं है।

(c) अगर आप घर आधारित डे केयर प्रदायक होने के नाते स्तर I भत्तों का निवेदन कर रहे हैं, तो कृपया इस भाग में ऐसा संकेत करें।

---

6. **जाति/ रंग/ मूल राष्ट्रीयता का संकेत:** भोजन पाने के लिए आपको इस भाग को भरना **आवश्यक** नहीं है, लेकिन इस सूचना को भरने से हम यह निश्चित कर सकते हैं कि कोई पक्षपाती नहीं किया जा रहा है।

आय के इन वर्गों को रिपोर्ट करना होगा

<u>काम से मिली आय</u>

पगार/तनख्वाह/टिप

हड़ताल के लाभ

बेरोज़गारी की क्षतिपूर्ति

श्रमिक क्षतिपूर्ति

स्वयं के व्यापार या डे केयर व्यापार या खेती से असली कमाई

<u>वेलफेयर/बाल समर्थन/संभरण</u>

सार्वजनिक सहायता अदायगी

वेलफेयर अदायगी

संभरण/बाल समर्थन अदायगी

<u>पेंशन/अवकाश/सोशल सिक्युरिटी</u>

पेंशन

अतिरिक्त सोशल सिक्युरिटी

अवकाश की आय

भूतपूर्व सैनिक अदायगी

सोशल सिक्युरिटी

<u>अन्य मासिक आय/स्वयं का काम</u>

अशक्तता के लाभ

बचत से निकाला गया नकद

सूध/लाभांश

जायदाद/ट्रस्ट/पूंजीनिवेश से आय

गृहस्थी में न रहने वाले व्यक्ति से नियमित अंशदान

नेट रायल्टी/ वार्षिकी/ नेट किराए की आमदनी

सैन्य बेस से अलग रहने के भत्ते

कोई अन्य आय